

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय गोड्डा

राजस्व विविध बाद संख्या 01/2015.2016

मु0 नेजामुद्दीन

वनाम

रैयान मौजा खरकचिया न0 185

—:आदेश:—

05/11/20

विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का सम्यक रूप से अवलोकन किया वत्तर्मान प्रक्रिया आवेदक मु0 नेजामुद्दीन पिता इन्सान मियाँ साकिन-खरकचिया थाना वो अंचल पोडैयाहाट जिला गोड्डा द्वारा दिनांक 25.08.2015 को समर्पित आवेदन के आधार पर मौजा खरकचिया थाना नं0 185 थाना वो अंचल पोडैयाहाट के अनावादी खाता संख्या 74 दाग नं0 147 के कुल रकवा 01-10-08 धुर भूमि प्रधानी पट्टा सम्पुष्टि हेतु प्रारंभ किया गया है।

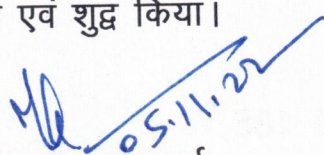
आवेदक का कहना है कि मौजा - खरकचिया थाना नं0 185 थाना वो अंचल पोडैयाहाट खाता संख्या 74 के दाग नं0 147 कुल रकवा 01-10-08 धुर किस्म परती कदीम भूमि पर आवेदक के पूर्वज विगत 60-70 वर्षों से परती भूमि को अपने श्रम से खेती लायक बनाया तथा उस भूमि पर शांति पूर्वक जोत आबाद करते हैं। इसी क्रम में आगे उल्लेख करते हैं कि प्रश्नगत जमीन सन् 15-06-1982 ई0 में मौजा-खरकचिया के प्रधान ने विषयगत भूमि मौजा- खरकचिया न0 185 दाग न0 147 रकवा 01-10-08 धुर किस्म परती कदीम का जमीन का पट्टा भी आवेदक के नाम से काटा गया। जिसका फोटो कॉपी आवेदन पत्र के साथ सलग्न किया गया है। आवेदक का कहना है कि विषय गत भूमि का सन् 1982 ई0 से प्रति वर्ष मालगुजारी आदा कर रसीद प्राप्त करते आ रहा है। जिसका फोटो कॉपी भी आवेदन पत्र के साथ सलग्न किया गया है।

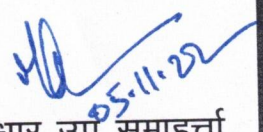
अतः प्रधानी पट्टा को सम्पुष्ट करने का अनुरोध करते हैं इस संदर्भ में अंचल अधिकारी पोडैयाहाट से जाँच प्रतिवेदन कि माँग कि गई। प्रतिवेदन में विषयगत भूमि आवेदक निजामुद्दीन पिता इन्सान मियाँ साकिन खरकचिया थाना वो अंचल पोडैयाहाट जिला गोड्डा के नाम से मौजा खरकचिया न0 185 दाग न0 147 के कुल रकवा 01-10-08 धुर प्रधानी पट्टा बंदोवस्त जमीन को सम्पुष्टि करने का अनुशंसा किया गया है।

अतः वर्तमान बाद प्रधानी पट्टा बंदोवस्ती सम्पुष्ट हेतु आवेदक का आवेदन है। संधाल परगना कास्त कारी अधिनियम कि धारा 27 के तहत **best land** कि जमीन को किसी व्यक्ति के नाम बंदोवस्ती करने का अधिकारिता माननीय उपायुक्त महोदय एवं अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिती में प्रधान के द्वारा निर्गत पट्टा का सम्पुष्टि मेरे क्षेत्राधिकार नहीं आता है। ऐसी परिस्थिती में इस प्रक्रिया बिना गुण

दोष विचार किए हुए प्रक्रिया समाप्त किया जाता है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


भूमि सुधार उप समाहर्ता
गोड्डा।


भूमि सुधार उप समाहर्ता
गोड्डा।